<u>डिस्कलेमर</u>

अंतरिम आदेश संख्या 01/2021-22 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 01/2021-22

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – **110003**

जारी करने की तारीख**: 23** जून**, 2021**

हवाईअड्डा प्रचालक, अदानी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एएआईएएल) द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एसवीपीआईए), अहमदाबाद में 01 जुलाई, 2021 से प्रारंभ होने वाली अंतरराष्ट्रीय कॉर्गो हैंडलिंग (एयर साइड और सिटी साइड दोनों पर आयात एवं निर्यात) से संबंधित वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन के मामले में – 01.07.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए अंतरिम आदेश।

मैसर्स अदानी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एएआईएएल) 07 नवम्बर, 2020 से सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एसवीपीआईए), अहमदाबाद में नए हवाईअड्डा प्रचालक है, जिन्होंने 50 वर्ष की अवधि के लिए रियायत करार (दिनांक 14.02.2020) के तहत पूर्व एएआई से वाणिज्यिक प्रचालन का कार्य लिया है।

2. प्राधिकरण ने दिनांक 06.11.2020 के पहले के आदेश संख्या 52/2020-21 द्वारा मैसर्स एएआईएएल को एसवीपीआई, अहमदाबाद हवाईअड्डे पर 06.11.2020 को विद्यमान टैरिफ के आधार पर 07.11.2020 (सीओडी) से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर वैमानिक प्रभार और अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग प्रभार संग्रहित करने की अनुमति दी थी। प्राधिकरण ने दिनांक 24.03.2021 के आदेश संख्या 65/2020-21 द्वारा 30.09.2021 तक आगे की अवधि, या, तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ का निर्धारण होने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर पूर्वोक्त टैरिफ को बढ़ाने की अनुमति दी है।

3. मैसर्स एएआईएएल ने दिनांक 17.05.2021 के हाल ही के पत्र संख्या एएआईएएल/सीओ/ऐरा-आईटी/2021/2 द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया है कि वे 01 जुलाई, 2021 से एसवीपीआईए, अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय कार्गो प्रचालन भी प्रारंभ करना चाहते हैं और उन्होंने दिनांक 09.04.2021 के आवेदन द्वारा सीमा शुल्क विभाग की आवश्यक 'अभिरक्षा' अनुमति के लिए आवेदन कर दिया है, तथा इसके अनुमोदन की प्रतीक्षा है। तदनुसार मैसर्स एएआईएएल ने अहमदाबाद हवाईअड्डे पर समान सेवाएं (अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग) प्रदान करने वाले मौजूदा अन्य कार्गो प्रचालकों के लिए प्राधिकरण द्वारा यथानुमोदित मौजूदा प्रभारों के अनुरूप टैरिफ के अनुमोदन के लिए प्राधिकरण से संपर्क किया है।

4. मैसर्स एएआईएएल ने यह भी अवगत कराया है कि वे तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अपना व्यापक एमवाईटीपी तैयार कर रहे हैं और इसे प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

5. प्राधिकरण ने एसवीपीआईए, अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय कार्गो प्रचालनों के लिए मैसर्स सीएससी और मैसर्स जीएसईसी नामक अन्य दो सेवा प्रदाताओं के लिए उनकी द्वितीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 20216-21) के लिए टैरिफ निर्धारित कर दी है।

उपर्युक्त में से मैसर्स जीएसईसी 31.12.2022 तक वैध एएआईसीएलएएस से रियायत प्राप्त कर तराशे गए क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कार्गो (निर्यात एवं आयात) का संचालन करता है। प्राधिकरण ने दिनांक 28.03.2018 के आदेश संख्या 44/2017-18 द्वारा मैसर्स जीएसईसी लिमिटेड के लिए केवल सिटी साइड की टैरिफ (31.03.2021 तक वैध) निर्धारित कर दी है1

अन्य सेवा प्रदाता, अर्थात मैसर्स सीएससी, के लिए प्राधिकरण ने दिनांक 14.11.2018 के आदेश संख्या 27/2018-19 द्वारा केवल निर्यात प्रबंधन के लिए सिटी साइड और एयर साइड दोनों के लिए टैरिफ (31.03.2021 तक वैध) निर्धारित कर दी है।

मैसर्स सीएससी तराशे गए क्षेत्र में खराब होने योग्य और सामान्य कार्गो केन्द्र में गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएआईसीएल) की ओर से दी गई अनुरक्षण एवं प्रचालन संविदा के तहत प्रचालन करता है।

6. चूंकि मैसर्स एएआईएएल ने अब 01.07.2021 से एसवीपीआईए, अहमदाबाद में अतिरिक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय कार्गो प्रचालन (निर्यात एवं आयात) प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया है और निम्नलिखित टैरिफ का अनुमोदन मांगा है:

तालिका –क

i.	सिटी साइड टैरिफ	दिनांक 28.03.2018 के आदेश संख्या 44/2017-18 द्वारा जीएसईसी के लिए ऐरा द्वारा यथानुमोदित समान दर
ii.	एयर साइड टैरिफ	दिनांक 14.11.2018 के आदेश संख्या 27/2018-19 द्वारा सीएससी के लिए ऐरा द्वारा यथानुमोदित समान दर (आयात संचालन के लिए निर्यात के लिए अनुमोदित प्रभारों का प्रस्ताव किया गया है)।

7. तदनुसार प्राधिकरण ने मैसर्स एएआईएएल के अनुरोध की जांच करके मैसर्स एएआईएएल द्वारा 01.07.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि, या, मैसर्स एएआईएएल की तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए नियमित वैमानिक टैरिफ का निर्धारण होने तक, जो भी पहले हो, एसवीपीआई हवाईअड्डा, अहमदाबाद में प्रदान की जाने वाली उनकी अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए मांगी गई टैरिफ [पैरा 6 की तालिका क (i) और (ii) देखें] का अनुमोदन करने का निर्णय लिया है। अंतरिम/तदर्थ व्यवस्था से प्राप्त राजस्व को ध्यान में रखा जाएगा और कार्गो तथा हवाईअड्डा टैरिफ का नियमित निर्धारण करते समय इसे टूअप किया जाएगा।

आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा आदेश देता है कि:

हवाईअड्डा प्रचालक मैसर्स अदानी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एएआईएएल) को मैसर्स जीएसईसी और मैसर्स सीएससी के लिए यथा लागू, 31.0**3.2021** को प्रचलित, संलग्नक –**I** [पैरा 6 की तालिका क (i) और (ii) देखें] में दिए गए टैरिफ कार्ड के अनुसार 01.07.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि, या, तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए मैसर्स एएआईएएल की नियमित वैमानिक टैरिफ का निर्धारण होने तक, जो भी पहले हो, मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कार्गो टैरिफ की वसूली करने की अनुमति दी जाती है।

(i) अंतरिम/तदर्थ व्यवस्था से प्राप्त राजस्व को ध्यान में रखा जाएगा और मैसर्स एएआईएएल की कार्गो तथा हवाईअड्डा टैरिफ का नियमित निर्धारण करते समय इसे ट्रूअप किया जाएगा।

(ii) यह आदेश मैसर्स एएआईएएल को एसवीपीआईए, अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय कार्गो प्रचालन प्रारंभ करने से पहले सीमा शुल्क विभाग द्वारा आवश्यक 'अभिरक्षा' अनुमोदन प्रदान करने के अधीन है (आदेश प्राप्त कर इसकी प्रति तत्काल ऐरा को प्रस्तुत की जाए)।

(iii) यह आदेश अंतरिम व्यवस्था है। मैसर्स एएआईएएल ऐरा के विनियामक दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार वैमानिक टैरिफों के नियमित निर्धारण के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए समय पर एमवाईटीपी (कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए भी) प्रस्तुत करेगी।

(iv) मैसर्स एएआईएएल अपने नॉन-शेडल्यूड कार्गो हैंडलिंग प्रचालनों के लिए टैरिफ प्रभार नहीं बढ़ाए और उपर्युक्त यथानुमोदित प्रभार/टैरिफ ही वसूल करे।

(v) उपर्युक्त अनुसार अनुमोदित टैरिफ कार्गो हैंडलिंग सेवा के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा।

(vi) डेमरेज (विलंब-शुल्क) रहित अवधि समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के अनुसार होगी।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्त्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री बेहनाद जान्दी
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
अदानी अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (एएआईएएल),
अदानी कॉरपोरेट हाऊस,
शांतिग्राम, एस.जी हाईवे,
अहमदाबाद - 382421,
गुजरात, भारत

प्रतिलिपि:

सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003